

फर्द अहकाम

(नियम 26)

## न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

श्री सुकुम रावल

जाति रावल

निवासी ए16 साई प्रसाद सोसायटी

विसत गांधीनगर हाईवे साबरमती अहमदाबाद।

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत

सनवाडा तह. रेवदर

मुकदमा नं.35 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
16.05.2022	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सनवाडा तह. रेवदर को दिनांक 07.01.2022 एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत सनवाडा में कितने गांव आते है एवं पंचायत का पिछले एक वर्ष का आय-व्यय का हिसाब एवं पिछले 02 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशि एवं कितने गांव ऐसे है, जिसमें घर-घर नल योजना नहीं पहुंची, इससे सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सनवाडा तह. रेवदर को दिनांक 07.01.2022 एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत सनवाडा में कितने गांव आते है एवं पंचायत का पिछले एक वर्ष का आय-व्यय का हिसाब एवं पिछले 02 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशि एवं उक्त पंचायत कितने गांव ऐसे है, जिसमें घर-घर नल योजना नहीं पहुंची, इससे सम्बन्धित सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। चूंकि लोक सूचना अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सनवाडा तह. रेवदर के अपील अधिकारी जिला कलक्टर सिरौही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांत की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(डॉ. भँवर  
जिला कलक्टर, सिरौही